केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितय तल, अगस्त क्रांति भवन
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2017/162 दिनांक: 02.052017
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2017/00156
CICOM/R/2016/00690
CICOM/R/2017/00069

अपीलकर्ता : श्री प्रकाश शुक्ल,
43-54/12, द्वितीय तल,
सुभाष लेन, वरूण पथ,
मानसरोवर, जयपुर – 20.

निर्णय की तारीख : 02.05.2017

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	20.04.2016, 07.01.2017
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	03.06.2016, 31.01.2017
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. सी. शर्मा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	17.03.2017
आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि	119253/23.03.2017
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	195/01.05.2017

1. अपीलकर्ता ने उक्त दोनों आर.टी.आई. आवेदनों के माध्यम से दो - दो बिंदुओं पर सूचनाएं मांगी थी जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस.सी.शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई सूचना से असंतुष्ट होने पर अपीलकर्ता ने प्रथम अपील दाखिल की है ।

2. अपीलकर्ता का यह प्रथम अपील जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग में दिनांक 23.03;2017 को डायराइज हुआ तथा आयोग के डाक अनुभाग द्वारा भूलवश किसी अन्य अनुभाग को अग्रसारित हो जाने के कारण प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 25.04.2017 को प्राप्त हुआ है । अपीलकर्ता से लगभाग 12;00 बजे उनके मोबाल नं. पर संपर्क करने पर अपीलकर्ता ने बताया कि वे व्यस्त हैं इसलिए आधे घंटे बाद वो खुद प्रथम अपीलीय अधिकारी को फोन करेंगे, परन्तु तीन घंटे बाद भी अपीलकर्ता का फोन नहीं आया इसलिए उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही अपील का निपटारा किया जा रहा है । प्रथम अपील आवेदन का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता ने दोनों आर.टी.आई. आवेदनों के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/WB/A/2016/01003 दिनांक 16.12.2016 की अधिप्रमाणित प्रति की मांग की थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री एस.सी.शर्मा ने अपीलकर्ता को सूचित किया कि उक्त द्वितीय अपील सं. आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, तथापि उक्त द्वितीय अपील 2006 की है, इसलिए श्री एस.सी.शर्मा ने रिकार्ड रूम प्रभारी से उक्त द्वितीय अपील संचिका उपलब्ध करवाने का अनुरोध भी किया है ताकि उक्त आदेश की प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध करवाई जा सके । इस संदर्भ में श्री एस. सी. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के अंदर यदि रिकार्ड रूम से उक्त संचिका प्राप्त हो गई हो तो अपीलकर्ता को वांछित आदेश की प्रति अतिशीघ्र उपलब्ध करवाई जाए और यदि उक्त संचिका रिकार्ड रूम से प्राप्त नहीं हुई है तो रिकार्ड रूम प्रभारी से पुनः संपर्क करें एवं अपीलकर्ता को अद्यतन स्थिति की जानकारी दे ।

C.I.C. / के. सू. आ.
RECEIVED
02 MAY 2017
Initials: ....

---2/-

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :
1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. **श्री एस.सी.शर्मा, उप-पंजीयक, मुख्य सूचना आयुक्त कार्यालय एवं केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, के.सू.आ., नई दिल्ली ।**